


92



माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक - /2017 निगरानी / 2017 निगरानी / 2017 निगरानी - 4414/2017  
1/निगरानी/उज्जैन/शु.ग/2017/4414

गर्था अभिभाषक श्री  
द्वारा प्रस्तुत  
दिनांक 28-9-17  
अधीक्षक 28.9.17  
आयुक्त कार्यालय  
उज्जैन

शु.ग  
25-10

1. जगदीश पिता अम्बाराम
  2. बद्रीलाल पिता अम्बाराम
  3. गोविन्द पिता अम्बाराम
  4. मेहरबान पिता अम्बाराम
  5. राजेन्द्र पिता अम्बाराम
  6. नादानबाई विधवा अम्बाराम
- निवासीगण ग्राम सुमराखेड़ा तहसील तराना जिला  
उज्जैन

— आवेदकगण

विरुद्ध

1. नर्मदाबाई उर्फ निर्मलाबाई पिता देवी
2. सुनील पिता देवी
3. श्यामुबाई उर्फ नादानबाई पिता अम्बाराम पति  
राधेश्याम निवासी ईचोद तहसील शुजालपुर जिला  
शाजापुर म.प्र.

— अनावेदकगण

पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं

माननीय महोदय,


आवेदकगण अधीनस्थ न्यायालय अपर तहसीलदार महोदय तहसील तराना जिला उज्जैन के प्र.क्र. 6/अ-13/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 31-08-2017 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न आधार पर यह निगरानी अंदर, अवधि प्रस्तुत है :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश विधि विधान एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से प्रथम दृष्टया ही सव्यय निरस्त किए जाने योग्य है।
2. यह कि, अनावेदक का मौके पर आवेदकगण की भूमि पर से कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा है उसके उपरांत भी बिना किसी वैध आधार के अनावेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय ने वैधानिक त्रुटि की है।
3. यह कि, अनावेदकगण आवेदकगण की भूमि पर से कभी भी

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/उ.प्र.भू.रा./2017/4414

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">             प्रशासकीय सदस्य         </p>	